

# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

## संशोधन आदेश

कमांक/ <sup>175</sup> /सी.जे.एम./24

जबलपुर, दिनांक-13.5-24  
10.05.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर माह मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु पूर्व में जारी आदेश कं. 169/सी.जे.एम./24 जबलपुर दिनांक- 30.04.2024 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा-

### जिला- जबलपुर न्यायालय


कं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री अंशुल जैन	23.05.2024

### सिहोरा न्यायालय

कं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती रेशमा खातून	23.05.2024


### पाटन न्यायालय

कं	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री दशरथ सिंह भिडे, जे.एम.एफ.सी.	23.05.2024

  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

### प्रतिलिपि-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री .....न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4- जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर